

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

52 / 2022
12.10.2022

- 1-मोरपाल पुत्र लालाराम जाति मीणा निवासी भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 2-सीताराम पुत्र लालाराम जाति मीणा निवासी भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 3-हरी पुत्र लालाराम जाति मीणा निवासी भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

—अपीलान्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई जिला-टोंक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 07.09.2022 मिसल नम्बर 355 / 2022

- उपस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 14.11.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2022 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 339/1 में से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 12/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान भी लेखबद्ध नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलान्ट्स को तीन सजाये कमशः बेदखल करने, पेनल्टी आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स ने अपील मीमो के साथ ही विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।



जिला कलेक्टर
टोंक


अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 339/1 में से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। अपीलान्ट्स ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट्स भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट्स की ओर से मां की तामील हुई है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 339/1 में से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 553/2022 निर्णय दिनांक 22.03.2022 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील मीमो के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है और अब मैं भविष्य में उक्त भूमि पर अथवा किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करूंगा, परन्तु पटवारी हल्का चतुर्भुजपुरा ने अपने बयान में उल्लेख किया है कि अपीलान्ट को दिनांक 11.05.2022 को उक्त खसरा नम्बर से बेदखल किया है। अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 07.09.2022 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, सेक
टॉक